न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 523/2017

1. कमल गुनेजा पुत्र श्री नारायण दास जाति अरोड़ा निवासी 122 जी ब्लाक श्रीगंगानगर।
2. रमेश चन्द्र पुत्र श्री ईशरदास जाति अरोड़ा निवासी हिरणावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. गोपालदास पुत्र श्री मोटनदास जाति अरोड़ा निवासी 53 जी ब्लाक श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. दर्शनलाल पुत्र श्री सरदारीलाल जाति खत्री निवासी चक 18 एम.एल. हिरणावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. औम प्रकाश पुत्र श्री सरदारीलाल जाति खत्री निवासी चक 18 एम.एल. हिरणावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित ::–

1.	कमल गुनेजा	प्रार्थी संख्या 1
2.	रमेश चन्द्र	प्रार्थी संख्या 2
3.	गोपालदास	प्रार्थी संख्या 3

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 12.06.2018

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 18 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 58/48 एवम् 62/45 मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 ता 25 में स्थित है और प्रार्थीगण एक्त भूमि के हिस्सेदारान व काश्तकारान है अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि भूमि भी प्रार्थीगण के चिपती हुई मुरब्बा नम्बर 30 में स्थित है जहां से प्रार्थीगण द्वारा रास्ता की मांग की जा रही है इस कारण अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 18 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 से 25 में स्थित जमाबन्दी की सत्यप्रति संलग्न आवेदन पत्र है प्रार्थीगण की भूमि हेतु रास्ता अर्सा दराज से चक 18 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 ता 25 में स्थित था जहां से प्रार्थीगण अर्सा दराज से आ जा रहे थे और उक्त रास्ता के बाद प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5 से

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

होते हुए कुतरी खाल को क्रास करते हुए अपनें रकबा में प्रवेश करते थे, परन्तु कुछ वर्ष मुरब्बा नम्बर 17 के मालिक द्वारा उक्त स्वीकृत रास्ता को बन्द कर दिया, जिस पर प्रार्थीगण नें प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त स्वीकृत रास्ता को खुलवाया और इस बात की द्वेश भावना रखते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5 में स्थित रास्ता को बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थीगण अपनें रकबा में आनें जानें से महरूम हो और तारबन्दी कर आवागमन को रास्ता पूर्ण रूप से बन्द कर दिया है।

प्रार्थीगण की भूमि में आनें जानें के लिये रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है इस कारण प्रार्थीगण को अपनी भूमि में काश्त करनें के लिये आनें जानें हेतु कृषि औजार लानें व कृषि जिन्स को भी उठानें का रास्ता नहीं है इस कारण प्रार्थीगण चक 18 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5 में 16.6X100 फुट की चौड़ाई में ही रास्ता कोना के रूप में मन्जुर करवाना चाहते है जिससे प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 25 में मन्जुर शुद्धा रास्ता से अपनी भूमि में प्रवेश कर सके।

प्रार्थीगण उक्त रास्ता के बदले में आई हुई भूमि के मुआवजा के रूप में भूमि के बदले भूमि अथवा न्यायालय द्वारा जो भूमि का मुआवजा तय किया जावेगा वह अदा करनें के लिये तैयार है।

प्रार्थीगण नें अप्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार रास्ता दियें जानें व रास्ता को मन्जुर करवानें हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण जो कि मुरब्बा नम्बर 17 के मालिकान के रिश्तेदार है और उनके बहकावे में है इसलिये उक्त रास्ता को उन्होनें मन्जुर करवानें से दिनांक 06.09.2017 को साफ इन्कार कर दिया है इस कारण प्रार्थीगण को पूर्ण विश्वास हो गया है कि अप्रार्थीगण बिना न्यायालय की सहायता के मानने वाले नहीं है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चक 18 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5 में मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 25 के साथ चिपता हुआ साईज 16.6X100 फुट रास्ता मजूर करनें के आदेश पारित किये जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का तथा भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में को भिजवाया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि चक 18 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 30 में किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत है जो मौके पर चालु है किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में खाला स्वीकृत है जौ मौके पर चालु है।

न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 के अन्तर्गत दिनांक 12.06.2018 को ग्राम पंचायत 18 एम.एल में आयोजित राजस्व लोक अदालत में प्रकरण को रखा गया प्रार्थीगण उपस्थित आये अप्रार्थी संख्या 2 पूर्व में जरिये अधिवक्ता उपस्थित आ चुके थे परन्तु लोक अदालत में उपस्थित नहीं आये अप्रार्थी संख्या 1 का पुत्र लोक अदालत में उपस्थित आकर कथन किया कि मेरे पिता बाहर गये हुए है अतः उनके आनें पर ही प्रकरण में रास्ता दिया जाना है अथवा नहीं उनके द्वारा ही बताया जावेगा।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता का भौतिक निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि चक 18 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 30 में किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 तथा मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 ता 25 में स्वीकृत शुद्धा रास्ता मौके पर चालु है। परन्तु मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 25 में कुतरी खाला पक्का होने कारण रास्ता अवरूद्ध होनें से बन्द हो चुका है जिससे मुरब्बा नम्बर 31 के काश्तकारान को अपनें कृषि कार्य के लिये आवागमन रास्ता बन्द हो चुका है। अतः मुरब्बा नम्बर 31 के काश्तकारान को अपनी भूमि में आनें जानें हेतु रास्ते की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

– :: आदेश ::–

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 18 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5 में मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 25 के साथ चिपता हुआ साईज 12X100 फुट गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दर दुगना प्रार्थी अप्रार्थी को अदा करेगा तथा किला नम्बर 5 में खाला पर से आगे निकलनें हेतु प्रार्थीगण अपनें स्वयं के खर्चे पर पुलिया का निर्माण करेगें।

प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि के बदले मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाये जानें के उपरान्त राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन किया जाकर सम्बंधित काश्तकार को तहसीलदार अपनें स्तर पर राशि का वितरण करना सुनिश्चित करेगें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 12.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 18 एम.एल. में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर